UPEW010010542026

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01632**

Arbitration Misc. No. 27/2026

NHAI Vs. Addl. Commissioner and Ors.

02.04.2026

1. पत्रावली पेश हुई।

2. प्रार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रसून दीक्षित द्वारा उपरोक्त वाद में अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 6क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद, प्रकीर्ण सिविल वाद सं0 36 सन् 2022 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2026 को रिकाल किये जाने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से प्रकीर्ण सिविल वाद सं0 36/2022 में अधिवक्ता श्री आर० सी० तिवारी नियुक्त थे जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आदेश दिनांक 17/01/2026 के सम्बन्ध में कोई जानकारी नही दी गयी। वादों की मासिक रिपोर्ट तैयार करते समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के सम्बन्धित कर्मी को दिनांक 02/02/2026 को ई0 कोर्टस पोर्टल से जानकारी हुई कि प्रकीर्ण वाद सं0 36/2026 दिनांक 17/01/2026 को अदम पैरवी में निरस्त हो गया है जिस पर कार्यालय द्वारा अधिवक्ता महोदय से जानकारी चाही गयी, किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। जानकारी न दिये जाने के कारण प्रार्थी कार्यालय द्वारा पूर्व अधिवक्ता महोदय को दिनांक 04/02/2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया व युक्ति युक्त जवाब प्राप्त न होने पर पत्रांक 425 दिनांकित 11/02/2026 को जारी कर अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र तिवारी से उन्हे एलाट किये गये सभी वाद वापस ले लिये गये व अधिवक्ता प्रसून दीक्षित को पुर्नस्थापना प्रार्थनापत्र प्राप्त सलाह के आधार पर दाखिल करने हेतु अधिकृत किया गया। जिनके द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0 28/2026 दाखिल किया गया जो कि मा० न्यायालय में नियत है। कालान्तर मे यह ज्ञात हुआ कि उक्त पूर्व अधिवक्ता महोदय द्वारा बिना प्रार्थी विभाग से स्वीकृति प्राप्त किये व बिना प्रार्थनापत्र हस्ताक्षरित कराये स्वंय अपना शपथपत्र दाखिल कर पुर्नस्थापना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि वर्तमान वाद सं0 27/2026 के रूप में मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि चूंकि प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0 28/2026 समान विषय पर, निर्धारित समयावधि में मा० न्यायालय के समक्ष दाखिल कर दिया है जिसे प्रार्थी बल दे रहा है। अतः वर्तमान प्रकीर्ण वाद जो कि बिना परियोजना निदेशक के हस्ताक्षर व

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.04.02 16:35:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अधिकार पत्र के दाखिल किया गया है को प्रार्थी बल नहीं देना चाहता। अतः प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा समान विषयक प्रकींण वाद सं० 28/2026 दाखिल कर दिये जाने के फलस्वरुप वर्तमान प्रकीर्ण वाद को बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जावे।

4. पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित है कि सिविल प्रकीर्ण वाद सं० 36/2022 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम एडिशनल कमि० को न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2026 को प्रार्थी व विपक्षी की अनुपस्थिति में खारिज किया गया था, जिसके विरुद्ध प्रार्थी एन.एच.ए.आई. द्वारा प्रकीर्ण वाद सं० 27/2026 तथा प्रकीर्ण वाद सं० 28/2026 दाखिल किये गये हैं। चूंकि प्रकीर्ण वाद सं० 27/2026 तथा प्रकीर्ण वाद सं० 28/2026 समान आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये हैं तथा प्रार्थी प्रकीर्ण वाद सं० 27/2026 पर बल नहीं देना चाहता है, अतः प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद सं० 27/2026 बल न देने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

5. प्रस्तुत प्रार्थनपत्र 6 क स्वीकार किया जाता है। प्रकीर्ण वाद सं० 27/2026 बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ 0 व 0 अधि0)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं० 4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632